

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)साप्र / 2 / 2015

जयपुर, दिनांक 6.7.2017

—: आदेश :—

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरीयतानुसार/प्रथम परिवर्तन के आधार उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं :—

क्र.सं.	वरीयता संख्या	नाम अधिकारी	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1	26 / 2012	श्री सावरमल संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान	एन-5, भूतल गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा म) गा / 19, गांधीनगर के स्थान पर	30.06.2032
2	46-ए / 2013	श्रीमती पुष्पा सत्यानी आर.ए.एस. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	गा / 61 (एवीएस), गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा)	30.6.2029
3	76 ए / 2013	श्री राजेश कुमार जैन कनिष्ठ भू- भौतिक विज्ञ भू जल विभाग, झालाना डूँगरी, जयपुर	103, मॉडल टाउन, जयपुर	28.2.2025
4	78 / 2013	श्री फारुक खान राहायक आचार्य (जनरल सर्जरी) कार्यालय नियंत्रण अधिकारी (संरथा) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	3 / 3, द्वितीय तल हीरावाग, जयपुर	31.10.2038

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/ बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/ क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञा हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
  - उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
  - कम संख्या 2 एवं 3 पर अंकित अधिकारीगण से “कॉमन सुविधा” शुल्क राशि रूपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गौरव बजाह)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त/जिला कलवटर, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक / वित्त (राजस्व) / भूजल / चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. नियंत्रक एवं प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग / भूजल / चिकित्सा एवं स्वारक्ष्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
8. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय / कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
9. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
11. अधिशासी अभियन्ता, साठौनिवी, खण्ड द्वितीय / तृतीय, मुख्यालय जयपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वाठा अभिवी विवेक निगम लिंग, वृत्त गांधीनगर / हीराबाग, रामबाग सर्किल, जयपुर।
13. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विवेकनिगम लिंग, वृत्त गांधीनगर / हीराबाग, रामबाग सर्किल, जयपुर।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर / हीराबाग, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्चा करावें।
15. संबंधित आवंटीगण
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

11  
उप शासन सचिव